

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-^{जसवन्तपुरा} ~~मिनमाल~~

वादी/प्राथी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्राथी-

जमनादेवी पत्नि हरचन्द्र
पत्नि सुरोहित निवासी
तह- जातवन्तपुरा

राजपूत राजपूत परिवार के अधिकारी
तह- जातवन्तपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / सार्धना पत्र / 13.6.....

नंबर- 12/2019/20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
3.12.19	<p>प्राथी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह द्वारा पत्रावली बाबत पुरस्त करने रायाव रेफर</p> <p>विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्राथीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्राथीगण जरिए जो तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख 13.12.2019 को पेश हो।</p>	
13/12/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता के पत्रावली पेश करने पर पत्रावली तलब कर पुनर्परीक्षा करवाने का पेश किया जा स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब हो। प्राथी अधिवक्ता के विरुद्ध किया कि प्राथी के मरीदमुदा अमीन के मूलेबान स्वीकार होने के समय रायाव कर्नचारिपो/अधिकारीसे द्वारा रफका नही खोला गया था। प्राथी ने वेचानकती अंतरिदेवी पत्नि हरचन्द्ररामजी से खसरा सं. 284 रकबा 0.98 हेक्टर काबो में से वेचानकती के हिस्से में से 0.01 हेक्टर भूमि दिनांक 30.06.2014 जरिये रजि. सेलडी</p>	<p>सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा (जालोर)</p> <p>सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा (जालोर)</p>

अंतरीदेवी पत्नि हस्चंद्राजी न
 कुप की तथा खेचानकर्णी कान्तादेवी पत्नि
 गफाजी के खसरा सं. 283 रकबा 3.57 है
 मौजा खासादेवल में से कान्तादेवी के हिस्से में
 से 0.80 है व अंतरीदेवी के हिस्से में से
 0.51 है कुल 1.31 है जारिये रजिस्ट्र
 सेल डीड न्वरीदा / साप से जमीया में
 खेचानकर्णी अंतरीदेवी पत्नि हस्चंद्राजी मौजा
 खासादेवल के खसरा सं. 284 रकबा
 0.98 है में से खेचानकर्णी के हिस्से में से
 0.60 है जारिये रजि. सेल डीड न्वरीदा /
 इस प्रकार खसरा सं. 284 रकबा 0.98 है
 में से जमीया ने कुल 0.61 है (0.60 + 0.01)
 रकबे का कुप किया।


लेकिन उक्त रजि. खेचाननामा के
 आधारे पर भरे गये म्यूटेशन दिनांक 8.9.2014
 में जमीया के हिस्से / रकबे का उल्लेख नहीं
 किया गया, जो लिफ्टीय रूख की प्रोगी
 में भाला है।

कहां पर भवन किया गया व फावली
 में लॉन्ग दस्तावेजों से बाल हुआ कि यह
 मागला तहसीलदार के स्तर पर धारा 168
 LRA मात्र से ही शुद्ध किया जा सकता
 था।

सहायक कलेक्टर
 (जालोर) जसवन्तपुरा

सहायक कलेक्टर
 जसवन्तपुरा (जालोर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अतः उक्त प्रार्थनापत्र बाबत दुरस्त करने राजस्व रेकॉर्ड प/स 136 LRA स्वीकार किया जाता है। तथा सरहद मौजबा श्याबादेवल में स्थित अप्राप्ती खसरा नं. 284 रकबा 0.93 ईं में से 0.61 ईं एवं खसरा नं. 283 रकबा 3.57 ईं में से 1.31 ईं परिधि रेकॉर्ड दुरुस्ती के दुरस्त कर प्रार्थना जमनादेवी पत्नी सरदारजी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में एवं मौजबा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त रकबा दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार जसवंतपुरा को आवेदन किया जाता है, साथ ही तहसीलदार जसवंतपुरा को हिदायत दी जाती है कि ऐसी त्रुटियां अपने स्तर पर ही धारा 166 LRA के तहत शुद्ध करें। तहसीलदार जसवंतपुरा को तबरीह धारि हो।</p> <p>जिला फैसल थुमार होकर (गेषा से वक हो व दामिल दफत (हो)</p>	


 तहसीलदार
 जसवंतपुरा (जालोर)